अनुदान संख्या 92 – वस्त्र मंत्रालय
GRANT No. 92–MINISTRY OF TEXTILES

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	3064,53,00	5664,82,00	5388,23,12	–276,58,88
पूरक	Supplementary	2600,29,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				250,06,15
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	258,98,00	366,42,00	299,54,13	–66,87,87
पूरक	Supplementary	107,44,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				64,76,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (27658.88 लाख रु.) अक्तूबर, 2008, दिसंबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 260029.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 11 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 5 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.27658.88 lakhs) constituted 11 percent of the supplementary grants of Rs.260029.00 lakhs obtained in October, 2008, December, 2008 and February, 2009 and 5 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	24850.00	1.00	. .	–1.00
पू.	S.	15801.00			
पु.	R.	–40650.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2851" ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries				
मू.	O.	65812.00			
पू.	S.	7352.00	89402.57	87302.30	–2100.27
पु.	R.	16238.57			
मुख्य शीर्ष "2852" उद्योग	Major Head "2852" Industries				
मू.	O.	201976.00			
पू.	S.	235215.00	435250.28	434869.71	–380.57
पु.	R.	–1940.72			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	12625.00			
पू.	S.	1500.00	15427.00	15407.00	–20.00
पु.	R.	1302.00			

(I) 42440.00 लाख रु. का प्रावधान तेइस शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 42049.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" -

(क) "ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग" -

(i) "एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम" - 3000.00 लाख रु.;

(ii) "हथकरघा बुनकर बृहद् कल्याण स्कीम" - 4001.00 लाख रु.(1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);

(I) Provision of Rs.42440.00 lakhs remained wholly unutilised under twenty three heads; of these Rs.42049.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552"-

(a) "Village and Small Industries- Handloom Industries"-

(i) "Integrated Handloom Development Scheme" - Rs.3000.00 lakhs;

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" - Rs.4001.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh);

(iii) ''विपणन तथा निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 1000.00 लाख रु.;

(iv) ''विविध हथकरघा विकास स्कीम'' - 500.00 लाख रु.;

(ख) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी उन्नयन'' - 400.00 लाख रु.;

(ii) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 1800.00 लाख रु.;

(iii) ''बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 1400.00 लाख रु. ;

(iv) ''विपणन सहायता सेवाएं'' - 1250.00 लाख रु.;

(v) ''अनुसंधान और विकास'' - 200.00 लाख रु.;

(vi) ''मानव संसाधन विकास'' - 200.00 लाख रु.;

(ग) ''ग्राम तथा लघु उद्योग - रेशम उत्पाद उद्योग - रेशम उद्योग के विकास के लिए अनुदान'' - 1750.00 लाख रु.; और

(घ) ''उपभोक्ता उद्योग - अन्य - पटसन प्रौद्योगिकी मिशन'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त बारह शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों/आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(ङ) ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(iii) "Marketing and Export promotion Scheme" - Rs.1000.00 lakhs;

(iv) "Diversified Handloom Development Scheme"-Rs.500.00 lakhs;

(b) "Village and Small Industries- Handicrafts Industries"-

(i) "Design and Technical Upgradation" - Rs.400.00 lakhs;

(ii) "Welfare and Other Schemes"-Rs.1800.00 lakhs;

(iii) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana" - Rs.1400.00 lakhs;

(iv) "Marketing Support Services"-Rs.1250.00 lakhs;

(v) "Research and Development" - Rs.200.00 lakhs;

(vi) "Human Resource Development" - Rs.200.00 lakhs;

(c) "Village and Small Industries - Sericulture Industries - Grants towards Development of Silk Industry" - Rs.1750.00 lakhs; and

(d) "Consumer Industries - Others - Jute Technology Mission" - Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above twelve heads remained unutilised due to re-appropriation of funds/part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(e) "Consumer Industries- Textiles"-

(i) ''परिधान पार्क के लिए एकीकृत स्कीम'' - 2500.00 लाख रु.;

(ii) ''प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 20800.00 लाख रु. (15800.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित); और

(iii) ''कपास प्रौद्योगिकी मिशन'' - 1000.00 लाख रु.।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(क) ''ब्रांड संवर्धन'' - 648.00 लाख रु.; और

(ख) ''मानव संसाधन विकास स्कीम'' - 800.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान योजना आयोग से अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त किया गया पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाई गई सीमा तक अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग - बुनकर सेवा केंद्र'' - 1900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 510.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2410.00 लाख रु. कर दिया गया तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण 156.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) "Integrated Scheme for Apparel Park" - Rs.2500.00 lakhs;

(ii) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - Rs.20800.00 lakhs (including supplementary grant of Rs.15800.00 lakhs); and

(iii) "Cotton Technology Mission" - Rs.1000.00 lakhs.

Provisions under the above three heads remained unutilised due to non-receipt of proposals from North Eastern States including Sikkim.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries-Textiles"-

(a) "Brand Promotion" - Rs.648.00 lakhs; and

(b) "Human Resource Development Scheme" - Rs.800.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-receipt of approval from the Planning Commission.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained unutilised to the extent as shown against each:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Handloom Industries - Weavers Service Centre" - the original provision of Rs.1900.00 lakhs was augmented to Rs.2410.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.510.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.156.49 lakhs - due to non-filling up of vacant posts.

(b) "Handicrafts Industries"-

(i) ''प्रशिक्षण और विस्तार'' - 2450.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 490.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 2940.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 224.79 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा; और

(ii) ''विपणन एवं सेवा विस्तार केंद्र'' - 845.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 220.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1065.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो 109.24 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें किफायती उपाय किए जाने के कारण हुईं।

(ग) ''बिजलीकरघा उद्योग - बिजलीकरघा के लिए तकनीकी सेवा केंद्र'' - 963.50 लाख रु. के मूल प्रावधान को 29.04 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 992.54 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो रिक्त पदों के न भरे जाने और किफायती उपाय किए जाने के कारण 14.89 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग'' -

(क) ''वस्त्र'' -

(i) ''वस्त्र आयुक्त'' - 1422.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 385.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 1807.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो वस्त्र आयुक्तों के कार्यालयों तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में विद्यमान अवसंरचना के आधुनिकीकरण और उन्नयन के प्रस्तावों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण 223.33 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(i) "Training and Extension" - the original provision of Rs.2450.00 lakhs was augmented to Rs.2940.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.490.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.224.79 lakhs; and

(ii) "Marketing and Service Extension Centres" - the original provision of Rs.845.00 lakhs was augmented to Rs.1065.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.220.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.109.24 lakhs.

Savings under the above two heads were due to economy measures.

(c) "Powerloom Industries – Technical Service Centres for Powerloom" - the original provision of Rs.963.50 lakhs was augmented to Rs.992.54 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.29.04 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.14.89 lakhs – due to non-filling up of vacant posts and economy measures.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries" –

(a) "Textiles"-

(i) "Textile Commissioner" - the original provision of Rs.1422.00 lakhs was augmented to Rs.1807.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.385.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.223.33 lakhs - due to non-finalisation of proposals for modernisation and upgradation of existing infrastructure in the offices of the Textile Commissioners and its Regional Offices.

(ii) ''मूल्य समर्थन के अंतर्गत भारतीय कपास निगम द्वारा कपास की अधिप्राप्ति'' - 14900.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 50890.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 65790.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो किफायती उपाय किए जाने के कारण 216.49 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(ii) "Procurement of Cotton by Cotton Corporation of India under Price Support" - the original provision of Rs.14900.00 lakhs was augmented to Rs.65790.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.50890.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.216.49 lakhs - due to economy measures.

(ख) ''अन्य - पटसन'' - 14440.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 660.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 15100.00 लाख रु. कर दिया गया, तथापि, जो स्कीम के कार्यान्वयन भाग में परिवर्तन किए जाने, राज्य सरकारों की सुस्त भागीदारी, आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा निर्धारित किए जाने की वजह से उद्योग द्वारा कुछ स्कीमों का समर्थन न किए जाने के कारण 568.15 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।

(b) "Others - Jute" - the original provision of Rs.14440.00 lakhs was augmented to Rs.15100.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.660.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.568.15 lakhs - due to changes in implementation part of the scheme, slack participation of State Governments and some schemes being not favoured by the Industry owing to cap on subsidy.

(III) मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''हथकरघा उद्योग'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(III) Under Major Head "2851" - "Handicrafts Industries" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''बाबा साहेब अंबेडकर हस्तशिल्प योजना'' - 310.38 लाख रु. की बचत (4609.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ऋण गारंटी संघटक के अंतर्गत स्कीम की धीमी प्रगति होने और पूर्वोत्तर राज्यों से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(A) "Baba Saheb Ambedkar Hastshilp Yojana"- saving of Rs.310.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4609.00 lakhs) was due to slow progress under the credit guarantee component of the scheme and non-receipt of sufficient proposals from the North Eastern States.

(खा) ''अनुसंधान और विकास'' - 226.88 लाख रु. की बचत (713.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा जनगणना कार्य के लिए कम दरें उद्धृत किए जाने के कारण हुई।

(B) "Research and Development" - saving of Rs.226.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.713.00 lakhs) was due to low rates quoted by the implementing agencies for census work.

(IV) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(IV) Under Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''वस्त्र श्रमिक पुनर्वास स्कीम'' - 200.00 लाख रु. की बचत (4000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कामगारों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(A) "Textile Labour Rehablitation Scheme" – saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4000.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the workers.

(खा) ''एकीकृत वस्त्र उद्यान'' - 14541.05 लाख रु. की बचत (42500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत चालू परियोजनाओं की धीमी प्रगति होने के कारण हुई।

(V) एक शीर्ष के अंतर्गत 68.10 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 68 प्रतिशत थी।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान के बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (29874.20 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 241168.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग'' -

(i) ''हथकरघा विकास'' - 468.50 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 446.89 लाख रु. था।

(ii) ''हथकरघा बुनकर वृहद कल्याण स्कीम'' - 4497.00 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 4487.00 लाख रु. था।

(iii) ''विविध हथकरघा विकास स्कीम'' - 221.64 लाख रु. । तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 207.65 लाख रु. था।

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग'' -

(i) ''डिजाइन और तकनीकी विकास'' - 877.48 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 331.57 लाख रु. था।

(ii) ''कल्याण और अन्य स्कीमें'' - 3271.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3170.27 लाख रु. था।

(ग) ''रेशम उत्पादन उद्योग - केंद्रीय रेशम बोर्ड'' - 3350.00 लाख रु.।

(B) "Integrated Textile Parks" - saving of Rs.14541.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.42500.00 lakhs) was due to slow progress of on going projects under the scheme.

(V) Under one head saving of Rs.68.10 lakhs occurred constituting 68 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.29874.20 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.241168.00 lakhs under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Handloom Industries"-

(i) "Handloom Development" – Rs.468.50 lakhs. Actual excess, however, was Rs.446.89 lakhs.

(ii) "Handloom Weavers Comprehensive Welfare Scheme" - Rs.4497.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.4487.00 lakhs.

(iii) "Diversified Handloom Development Scheme" - Rs.221.64 lakhs. Actual excess, however, was Rs.207.65 lakhs.

(b) "Handicrafts Industries"-

(i) "Design and Technical Development" - Rs.877.48 lakhs. Actual excess, however, was Rs.331.57 lakhs.

(ii) "Welfare and Other Schemes" - Rs.3271.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3170.27 lakhs.

(c) "Sericulture Industries – Central Silk Board" - Rs.3350.00 lakhs.

(घ) ''अन्य व्यय - वृहत् समूह का विकास'' - 2000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1870.91 लाख रु. था।

(खा) मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''उपभोक्ता उद्योग - वस्त्र'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास के लिए सहायता'' - 3095.09 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 3084.68 लाख रु. था।

(ख) ''तकनीकी उन्नयन निधि स्कीम'' - 12000.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 11999.87 लाख रु. था।

(ग) ''विदेशी निवेश संवर्धन स्कीम'' - 93.49 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 92.49 लाख रु. था।

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2851'' -

(क) ''हथकरघा उद्योग'' - विपणन एवं निर्यात संवर्धन स्कीम'' - 530.74 लाख रु. का अधिक व्यय (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(ख) ''हस्तशिल्प उद्योग - विपणन सहायता और सेवाएं'' - 729.44 लाख रु. का अधिक व्यय (4046.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - ग्राम तथा लघु उद्योग - हथकरघा उद्योग - एकीकृत हथकरघा विकास स्कीम'' - 1382.00 लाख रु. का अधिक व्यय (8500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(d) "Other Expenditure – Development of Mega Cluster" – Rs.2000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1870.91 lakhs.

(B) Major Head "2852" - "Consumer Industries - Textiles"-

(a) "Assistance for Research and Development"-Rs.3095.09 lakhs. Actual excess, however, was Rs.3084.68 lakhs.

(b) "Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS)" - Rs.12000.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.11999.87 lakhs.

(c) "Foreign Investment Promotion Scheme" - Rs.93.49 lakhs. Actual excess, however, was Rs.92.49 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(A) Major Head "2851"-

(a) "Handloom Industries - Marketing and Export Promotion Scheme" - excess of Rs.530.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs);

(b) "Handicrafts Industries – Marketing Support and Services" - excess of Rs.729.44 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4046.00 lakhs); and

(B) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes-Village and Small Industries - Handloom Industries - Integrated Handloom Development Scheme" - excess of Rs.1382.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.8500.00 lakhs).

Excess under the above three heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (6687.87 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 10744.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 62 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 18 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.6687.87 lakhs) constituted 62 percent of the supplementary grants of Rs.10744.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and 18 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	150.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–150.00			
मुख्य शीर्ष "4851" ग्राम और लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4851" Capital Outlay on Village and Small Industries				
मू.	O.	1700.00	1572.00	1422.53	–149.47
पु.	R.	–128.00			
मुख्य शीर्ष "6860" उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries				
मू.	O.	24048.00	28593.00	28531.60	–61.40
पू.	S.	10743.00			
पु.	R.	–6198.00			

(I) 152.00 लाख रु. का प्रावधान (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिनमें से 150.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष "4552" - "ग्राम और लघु उद्योग - हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन के लिए इमारत" के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों/कार्यान्वयन अभिकरणों से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.152.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) remained wholly unutilised under three heads; of these Rs.150.00 lakhs alone accounted for under Major Head "4552" - "Village and Small Industries - Handicrafts Industries - Building for Handicraft Bhawan" - due to non-receipt of proposals from North Eastern States/implementing agencies.

(II) मुख्य शीर्ष "4851" - "हस्तशिल्प उद्योग - हस्तशिल्प भवन सहित भवन का निर्माण" के अंतर्गत 219.06 लाख रु. की बचत (450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से पूंजीगत परियोजनाओं के लिए व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4851" - "Handicraft Industries - Construction of Building including Handicraft Bhawan" - saving of Rs.219.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.450.00 lakhs) was due to non-receipt of viable proposals for capital projects from North Eastern Region and Sikkim.

(III) मुख्य शीर्ष "6860" - "अन्य - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - राष्ट्रीय पटसन विनिर्माता निगम" के अंतर्गत 12527.40 लाख रु. की बचत (24010.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृति स्कीम पैकेज को सरकार द्वारा अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "6860" – "Others – Loans to Public Sector and Other Undertakings – National Jute Manufacturers Corporation" – saving of Rs.12527.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24010.00 lakhs) was due to non-approval of the Voluntary Retirement Scheme package by the Government.

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (6256.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "6860" - "वस्त्र - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 10743.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

4. The above savings were partly (Rs.6256.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.10743.00 lakhs under Major Head "6860" – "Textiles – Loans to Public Sector and Other Undertakings" - under the following heads:-

(I) "भारतीय राष्ट्रीय वस्त्र निगम" - 3757.00 लाख रु.।

(I) "National Textile Corporation of India" - Rs.3757.00 lakhs.

(II) "दि ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड" - 2499.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2498.00 लाख रु. था।

(II) "The British India Corporation Limited" – Rs.2499.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.2498.00 lakhs.